



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256483
CG-DL-E-20082024-256483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3192]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/ श्रावण 29, 1946

No. 3192]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/ SHRAVANA 29, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2024

का.आ. 3508(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 372(अ), तारीख 5 फरवरी, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करती है,-

उक्त अधिसूचना की सारणी की केरल राज्य से संबंधित क्रम सं. 12 के सामने स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
12	केरल	“अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायालय- I, एरनाकुलम।	तिरुवनन्तपुरम्, कोल्लम, पथनमथीट्टा, अलप्पुझा, इडुक्की, कोट्टयम, एरनाकुलम जिला।
		अतिरिक्त सेशन न्यायालय (मराड मामले), कोझीकोड।	त्रिस्सूर, पालक्काड, मलप्पुरम, कोझीकोड, वयनाड, कन्नूर, और कासरागोड जिला।”

[फा. सं. सी-18015/3/2024-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 372(अ), तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th August, 2024

S.O. 3508(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Kerala, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, (Department of Revenue), number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (ii),—

In the said notification, in the Table, against serial number 12 relating to the State of Kerala, after the existing entries in columns (3) and (4), the following entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	State or Union Territory	Court of Session designated as Special Court under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002	Area specified for trial of offence punishable under section 4 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Kerala	“Additional District and Sessions Court-I, Ernakulam.	Triruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Idukki, Kottayam, Ernakulam districts.
		Additional Sessions Court (Marad cases), Kozhikode.	Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod districts.”

[F. No. C-18015/3/2024-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Note. The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016.